खंड २ संख्या १३

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि १६ जून १९६९

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना
द्वारा मुद्रित
१९६०

[मूल्य—३७ पैसे]

रोहतास इंडस्ट्रीज, लि०,डालमिया नगर

२३२। श्री बद्री सिंह—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि रोहतास इंडस्ट्रीज, लि०, डालमियानगर के प्रबन्धकमंडल द्वारा कम्पनी के कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कन्फीडेन्शियल पे रोल के माध्यम से विशेष वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं ;

(२) क्या यह बात सही है कि कन्फीडेन्शियल पे रोल द्वारा दी गयी वेतन राशि कम्पनी के सभी हिस्सेदारों एवं कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को निरीक्षण के लिये नहीं उपलब्ध करायी जाती है ;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ऐसी कार्रवाई को वैध और जायज समझती है; यदि नहीं तो सरकार उस संबंध में कौन-सा कदम उठाना चाहती है ?

मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग—(१) कन्फीडेन्शियल वेतनभोगी कर्मचारी वेतन भुगतान अधिनियम (पेमेंट ऑफ वेजेज ऐक्ट, १९६३) की परिधि के बाहर हैं, क्योंकि उनका वेतन ४०० रु० प्रतिमाह से अधिक है। ऐसे वेतन भोगी कर्मचारियों से संबंधित रेकर्डस की जांच-पड़ताल उस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं की जा सकती। अतएव यह कहना संभव नहीं है कि ऐसे कर्मचारियों में से किन्हें विशेष वेतन तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं और किन्हें नहीं।

(२) प्रश्न का यह खंड कम्पनी के एकाउन्ट से संबंध रखता है और जैसा कि कहा जा चुका है कि इसकी जांच-पड़ताल करना अधिनियम की परिधि के बाहर होने से सम्भव नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग पर्षद् की बैठक

२३३। श्री सूरज नारायण सिंह—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि उद्योग पर्षद बैठक ७ सितम्बर, १९६८ को रांची में बुलायी गयी थी ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त बैठक में भाग लेने के लिये उद्योग निदेशक, अपर उद्योग निदेशक एवं उप-उद्योग निदेशक हवाई जहाज से यात्रा किये थे ;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो उनके यात्रा भत्ता पर तथा आवास पर उक्त बैठक में कितना खर्च हुआ है ?

मंत्री, उद्योग विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर नकारात्मक है । उक्त बैठक में भाग लेने के लिये केवल उद्योग निदेशक ही ने पटना से रांची तक हवाई जहाज से यात्रा की थी ।

(३) पटना से रांची तक जाने तथा ठहरने के लिये कुल व्यय तीनों पदाधिकारियों पर मात्र करीब ६१० रु० हुआ था।

दुमका पोलिटेकनिक स्कूल में नामांकन

२३४ । श्री सईद अहमद—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि संथाल परगना जिलान्तर्गत दुमका पोलिटेकनिक स्कूल में लड़कों का नामांकन करना बिल्कुल बन्द कर दिया गया है; यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार फिर से उक्त स्कूल में और नामांकन करने का विचार करती है ?

मंत्री, उद्योग विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है । तकनीकी शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों के नियोजन में कठिनाई को ध्यान में रखते हुये ही भारत सरकार के निदेशानुसार दुमका पोलिटेकनिक में छात्रों का नामांकन १९६८-६९ सत्र से स्थगित किया गया है । आदेशानुसार राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका परियोजना को चलाना तबतक स्थगित रखा जाये जबतक समुचित भवन-निर्माण तथा साज-सज्जादि के प्रबन्ध के लिये यथेष्ट राशि का उपबन्ध करने में राज्य सरकार समर्थ न हो जाय ।

(२) समुचित भवन तथा साजसज्जादि के प्रबन्ध होने तक प्रथम वर्ष में छात्रों का नामांकन स्थगित रहेगा ।

मजदूरों की उपार्जित छुट्टी ।

२३५ । श्री अम्बिका प्रसाद—क्या मंत्री, श्रम विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत जनता सिलीकेट एण्ड वायल मिल, कहलगांव, हनुमान मिल, कहलगांव, हनुमान एजेन्सी, कहलगांव के मजदूरों को मिल मालिक अर्नलीव नहीं देते हैं ;

(२) यदि खंड (का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मजदूरों को अर्न लीव दिलाना चाहती है; यदि हां, तो कबतक; यदि नहीं, तो क्यों ?